न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2019	29—04—2019	25—07—2019

01— हारून पुत्र श्री दीन मोहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 372/2017

उपस्थितः—

01—श्री शौकत खान —वकील अपीलाण्ट

—ःनिर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रघुनाथगढ की सरकारी गै.मु. बेहड़ भूमि आराजी खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.50 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगढ की सरकारी गै.मु. बेहड़ भूमि आराजी खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.50 है0 में से 0.20 है0 अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 29.04.2019 को पेश किया। जो करीब 1 साल 7 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2019 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)